

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या / 43 / 2017

दायर दिनांक 15.09.2017

	उनवान	
हफीजखां	बनाम	जमीला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 28.09.2021

—:निर्णय:—

वकील उभयपक्ष हाजिर | मूल वाद 205/2012 में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी० पी०सी० स्वीकार होने से वाद पत्र खारिज हो गया है | वाद पत्र खारिज हो जाने से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही | प्रार्थना पत्र में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो |



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

